

आदेश नं इजलवास राजन विशाल आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 38/2022 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)  
सेक्टर विलक्स इन्वेल्लिभ फाइनेस लिमिटेड, पता-सदुर्भ तल, कौलाश विडिजंग, कस्तूरबा गांधी  
मार्ग, कनोट प्लेस, न्यू दिल्ली ।

प्राधी वित्तीय संस्था

बचाम

1. श्री शितीज आनन्द गौतम  
पता-एबी 237, भंदिर मार्ग, ज्ञान विहार सर्किल के पास, निर्माण नगर, जयपुर राजस्थान ।
2. श्रीमती कुसुम देवी  
पता-एबी 237, भंदिर मार्ग, ज्ञान विहार सर्किल के पास, निर्माण नगर, जयपुर राजस्थान ।

अप्राधीगण  
ऋणी एवं गारण्टर



Application under section 14 of the Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्राधी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक 15.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राधी वित्तीय संस्था ने अप्राधी ऋणी को दिनांक 04.12.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमागत प्रतिभूति के रूप में अप्राधी शितीज आनन्द गौतम के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. 93, स्कीम शुभम विहार-IV, विन्दायका शिरसी रोड़, जयपुर, राज. में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, डोंचा आदि कुल क्षेत्रफल 98.8 वर्गमीटर को बन्धक रख कर 20,61,937/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राधी ऋणी द्वारा प्राधी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राधी ऋणी को दिनांक 16.08.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राधी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्राधीगण पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदान उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 20,61,937/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 23,04,472/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.08.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6. अतः : The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी क्षितीज आनन्द गौतम के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. 93, स्कीम शुभम विहार-IV, बिन्दायका सिरसी रोड़, जयपुर, राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढाँचा आदि कुल क्षेत्रफल 88.8 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली के अन्तर्गत से कम होकर दाखिल दफतर हो।
8. आदेश आज दिनांक 15.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (राजन विशाल)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर